संख्या: 175/2015/ 555/03/35-4-2015

प्रेषक

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग 4 लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल, 2015

विषय:- जनपदों को रू0 50 लाख प्रति जनपद की दर से पूंजीगत विकास कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यो के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू0 40.00 लाख तथा शहरी क्षेत्रों हेतु रू0 10.00 लाख अर्थात कुल मिलाकर रू0 50.00 लाख प्रति जनपद की दर से रू0 37.50 करोड़ (रूपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्नक-1 के स्तम्भ-5 में इंगित धनराशि संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- यह धनरशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है। इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

2- योजनान्तर्गत चयनित कार्यों पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का राजकोष से आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धनराशि आहरित कर बैक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4- प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यों का चयन और कार्यान्वयन शासनादेश संख्या-1191/35-4-2007, दिनांक 26 मार्च, 2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन किया जायेगा और उक्त शासनादेश के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष में आहिरत धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

2- प्रश्नगत मद पर होने वाला व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूंजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य एवं शहरी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूंजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या: 175/2015/ 555/03/35-4-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी), अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव।

http://finsanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1

शासनादेश संख्या : 175/2015/555/03/35-4-2015, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखाशीर्षक	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- 800- अन्य व्यय -05 – पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था -24 – वृहद निर्माण कार्य	4217– शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- 60- अन्य शहरी विकास योजनायें -800 – अन्य व्यय -03- पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था -24- वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
1	आगरा	40.00	10.00	50.00
2	मैनपुरी	40.00	10.00	50.00
3	मथुरा	40.00	10.00	50.00
4	फिरोजाबाद	40.00	10.00	50.00
5	अलीगढ़	40.00	10.00	50.00
6	हाथरस	40.00	10.00	50.00
7	एटा	40.00	10.00	50.00
8	कासगंज	40.00	10.00	50.00
9	झांसी	40.00	10.00	50.00
10	ललितपुर	40.00	10.00	50.00
11	जालौन	40.00	10.00	50.00
12	हमीरपुर	40.00	10.00	50.00
13	चित्रकूट	40.00	10.00	50.00
14	बांदा	40.00	10.00	50.00
15	महोबा	40.00	10.00	50.00
16	लखनऊ	40.00	10.00	50.00
17	रायबरेली	40.00	10.00	50.00
18	उन्नाव	40.00	10.00	50.00

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखाशीर्षक	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- 800- अन्य व्यय -05 – पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था -24 – वृहद निर्माण कार्य	4217– शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- 60- अन्य शहरी विकास योजनायें -800 – अन्य व्यय -03- पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था -24- वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
19	हरदोई	40.00	10.00	50.00
20	सीतापुर	40.00	10.00	50.00
21	खीरी	40.00	10.00	50.00
22	बरेली	40.00	10.00	50.00
23	पीलीभीत	40.00	10.00	50.00
24	शाहजहाँपुर	40.00	10.00	50.00
25	बदायूँ	40.00	10.00	50.00
26	मेरठ	40.00	10.00	50.00
27	बागपत	40.00	10.00	50.00
28	बुलन्दशहर	40.00	10.00	50.00
29	गौतमबुद्धनगर	40.00	10.00	50.00
30	हापुड	40.00	10.00	50.00
31	गाजियाबाद	40.00	10.00	50.00
32	सहारनपुर	40.00	10.00	50.00
33	मुजफ्फरनगर	40.00	10.00	50.00
34	शामली	40.00	10.00	50.00
35	मुरादाबाद	40.00	10.00	50.00
36	रामपुर	40.00	10.00	50.00
37	सम्भल	40.00	10.00	50.00
38	बिजनौर	40.00	10.00	50.00
39	अमरोहा	40.00	10.00	50.00
40	वाराणसी	40.00	10.00	50.00

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखाशीर्षक	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- 800- अन्य व्यय -05 – पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था -24 – वृहद निर्माण कार्य	4217– शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- 60- अन्य शहरी विकास योजनायें -800 – अन्य व्यय -03- पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था -24- वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
41	गाजीपुर	40.00	10.00	50.00
42	चन्दौली	40.00	10.00	50.00
43	जौनपुर	40.00	10.00	50.00
44	मिर्जापुर	40.00	10.00	50.00
45	संत रविदासनगर भदोही	40.00	10.00	50.00
46	सोनभद्र	40.00	10.00	50.00
47	गोरखपुर	40.00	10.00	50.00
48	देवरिया	40.00	10.00	50.00
49	महराजगंज	40.00	10.00	50.00
50	कुशीनगर	40.00	10.00	50.00
51	बस्ती	40.00	10.00	50.00
52	संतकबीरनगर	40.00	10.00	50.00
53	सिद्धार्थनगर	40.00	10.00	50.00
54	आजमगढ़	40.00	10.00	50.00
55	मऊ	40.00	10.00	50.00
56	बलिया	40.00	10.00	50.00
57	इलाहाबाद	40.00	10.00	50.00
58	कौशाम्बी	40.00	10.00	50.00
59	प्रतापगढ़	40.00	10.00	50.00
60	फतेहपुर	40.00	10.00	50.00
61	कानपुर नगर	40.00	10.00	50.00

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखाशीर्षक	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय- 800- अन्य व्यय -05 – पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था -24 – वृहद निर्माण कार्य	4217– शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय- 60- अन्य शहरी विकास योजनायें -800 – अन्य व्यय -03- पूँजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था -24- वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
62	कानपुर देहात	40.00	10.00	50.00
63	इटावा	40.00	10.00	50.00
64	फरूर्खाबाद	40.00	10.00	50.00
65	कन्नौज	40.00	10.00	50.00
66	औरैया	40.00	10.00	50.00
67	फैजाबाद	40.00	10.00	50.00
68	सुल्तानुपर	40.00	10.00	50.00
69	बाराबंकी	40.00	10.00	50.00
70	अम्बेडकर नगर	40.00	10.00	50.00
71	अमेठी	40.00	10.00	50.00
72	गोण्डा	40.00	10.00	50.00
73	श्रावस्ती	40.00	10.00	50.00
74	बलरामपुर	40.00	10.00	50.00
75	बहराइच	40.00	10.00	50.00
	योग	**3000.00**	**750.00**	**3750.00**
		(रूपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र)		

(अबरार अहमद)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-2

शासनादेश संख्या: 175/2015/ 555/03/ 35-4-2015, दिनांक 13 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

जनपद का नाम ---------- मासान्त ----------

क्रमांक	परियोजना / कार्य का विवरण	भौतिक प्रगति				वित्तीय प्रगति (लाख रूपये में)		
		इकाई	लक्ष्य	प्राप्ति		स्वीकृत लागत	आवंटन	व्यय
				पूर्ण	अपूर्ण / प्रगति में			

टिप्पणी:-

1- प्रत्येक स्वीकृत परियोजना की प्रगति अलग क्रमांक देकर दर्शायी जाये।

2- जहां स्वीकृत कार्य एक अविभाज्य कार्य हों, वहां भौतिक प्रगति प्रतिशत में दर्शायी जाये।

3- जहां स्वीकृत कार्य एक से अधिक स्थलों पर किया जाना है, जैसे हैण्डपम्प की स्थापना, भवनों का निर्माण, सडक निर्माण आदि, वहां पूर्ण कार्यों की संख्या अलग दिखाते हुए अपूर्ण/ प्रगति में कार्यों की भौतिक प्रगति 4 भागों में बांटकर यथा 0-25 प्रतिशत, 26-50 प्रतिशत, 51-75 प्रतिशत, 75 प्रतिशत से अधिक प्रतिशत में दर्शायी जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in